

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 4709

गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान के दौरान कहा-सुनी/झगड़ा

4709. श्री बी. मणिकम टैगोर:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ान के दौरान यात्रियों द्वारा कहा-सुनी/झगड़ा या मारपीट किए जाने की स्थिति में एयरलाइनों द्वारा क्या अनुशासनात्मक या कानूनी प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं;

(ख) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा गलत व्यवहार के मामलों में केबिन कू द्वारा की जाने वाली निवारक और प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन परिस्थितियों में किसी यात्री को उड़ान से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को नो-फ्लाई सूची में डालने से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) क्या कोई निर्धारित समय-सीमा है जिसके भीतर एयरलाइनों को उड़ान के दौरान हमले या दुर्व्यवहार के मामलों की सूचना संबंधित प्राधिकारियों या डीजीसीए को देनी होगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास एयरलाइनों में बार-बार अपराध करने वाले या उपद्रवी यात्रियों पर नज़र रखने और यदि आवश्यक हो, तो समन्वित यात्रा प्रतिबंध लागू करने के लिए एक केंद्रीकृत तंत्र है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विमान में मारपीट, उत्पीड़न या भेदभाव के मामलों में देश में हवाई यात्रियों को क्या कानूनी अधिकार और सुरक्षा उपलब्ध है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) से (ग) : विमान/उसमें सवार व्यक्तियों/संपत्ति की सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं अनुशासन सुनिश्चित करने और विमान में गैरकानूनी/बाधक व्यवहार से निपटने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 'उच्छृंखल/बाधक यात्रियों से निपटना' शीर्षक से नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर), खण्ड 3- वायु परिवहन, श्रृंखला एम, और भाग VI, जारी किया है। सीएआर, उच्छृंखल व्यवहार को उनके कदाचार की गंभीरता के आधार पर तीन स्तरों में वर्गीकृत करता है। सीएआर के अनुसार गठित आंतरिक समिति की सिफारिश के आधार पर, ऐसे यात्रियों पर उनके कदाचार स्तर के आधार पर निर्धारित अवधि के लिए उड़ान प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

जब भी किसी एयरलाइन को अपने पायलट-इन-कमांड के उच्छृंखल व्यवहार की शिकायत प्राप्त होती है, तो प्रतिबंध की अवधि का निर्धारण करने के लिए एयरलाइन द्वारा उक्त घटना को आंतरिक समिति के पास अपेक्षित कार्रवाई हेतु भेजा जा सकता है। आंतरिक समिति के लिए 30 दिनों की अवधि के भीतर मामले पर निर्णय लेना अपेक्षित होता है। आंतरिक समिति का

निर्णय लंबित रहने तक, संबंधित एयरलाइन ऐसे उच्छृंखल यात्री को उड़ान से प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन यह अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं होगी।

(घ) : सभी एयरलाइनों को डीजीसीए द्वारा जारी वर्ष 2025 के केबिन सुरक्षा परिपत्र 01 के प्रावधानों के अनुसार घटना के 24 घंटे के भीतर यात्री के कदाचार/यात्री क्रोध/उच्छृंखल व्यवहार की घटना की सूचना डीजीसीए को देना अपेक्षित है।

(ङ) : उपर्युक्त सीएआर के प्रावधानों के अनुसार, एयरलाइन को उन यात्रियों का डेटाबेस बनाए रखना होगा जिनके उड़ान प्रतिबंध की सिफारिश आंतरिक समिति द्वारा की गई है। डीजीसीए और अन्य एयरलाइनों को इसके बारे में सूचित करना होगा। डीजीसीए उस यात्री को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखता है, जिसमें उच्छृंखल यात्री को एक निश्चित अवधि हेतु भारत के लिए/भारत से/भारत के भीतर उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

(च) : कोई भी ऐसा कृत्य, जिसे ज़मीन पर अपराध माना जाता है और जिसके लिए कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, उसे विमान में यात्रा के दौरान भी अपराध माना जाता है। व्यथित यात्री स्थानीय प्राधिकारियों के पास भी परेशानी या शिकायत दर्ज करा सकता है।
